भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3952

मंगलवार, 25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

मेक इन इंडिया परियोजनाएं

3952. श्री राजमोहन उन्नीथनः
श्री अजय भट्टः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 'मेक इन इंडिया' परियोजनाओं का विशेषकर केरल और उत्तराखंड राज्यों में राज्य / संघ राज्यक्षेत्र/क्षेत्र और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में 'मेक इन इंडिया' परियोजनाओं से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/क्षेत्र और जिलावार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ग) देश में 'मेक इन इंडिया' परियोजना के अंतर्गत आबंटित/जारी की गई और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/क्षेत्रवार, विशेषकर केरल और उत्तराखंड में ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में मेक इन इंडिया के अंतर्गत किए गए कार्यों और प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरुआत 25 सितंबर, 2014 को की गई थी, जिसका उद्देश्य, निवेश में सहायता करना, नवप्रयोग को प्रोत्साहित करना, सर्वोत्तम अवसंरचना का निर्माण करना तथा भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाना है। वर्तमान में, मेक इन इंडिया 2.0, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित **27 क्षेत्रों** पर केंद्रित है। मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत इन क्षेत्रों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने हेतु 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की घोषणा की गई है, जो भारत के आत्मनिर्भर बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। पीएलआई स्कीमों की

घोषणा से, अगले लगभग पांच वर्षों में उत्पादन, कौशल, रोजगार, आर्थिक वृद्धि और निर्यात में महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है। अद्यतन स्थिति के अनुसार, देशभर से 14 क्षेत्रों से संबंधित 764 आवेदनों को अनुमोदित किया गया है, इसमें केरल और उत्तराखंड के आवेदन भी शामिल है। पीएलआई स्कीमों ने 14 क्षेत्रों में 11.50 लाख से अधिक रोजगारों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) का सृजन किया है। पीएलआई स्कीमों के तहत, केरल में 18 विनिर्माण इकाइयां स्थापित की गई हैं और उत्तराखंड में 27 विनिर्माण इकाइयां स्थापित की गई हैं। पीएलआई स्कीमों के तहत विनिर्माण इकाइयों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत कार्यकलाप संचालित किए जा रहे हैं। मंत्रालयों द्वारा अपने मंत्रालय से संबंधित क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं, कार्यक्रम, स्कीमें और नीतियां तैयार की जाती हैं, जबकि राज्यों के पास भी निवेश आकर्षित करने के लिए अपनी स्कीमें हैं।

सरकार ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत पहलें की हैं, जिनमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत निवेश के अवसर, भारत औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस), राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) की सॉफ्ट लॉन्चिंग आदि शामिल हैं। निवेश में तेजी लाने के लिए, भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) के रूप में एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई है। उपर्युक्त सभी पहलें/स्कीमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, केंद्र सरकार, केरल और उत्तराखंड सहित राज्य सरकारों में कार्यान्वित की जाती हैं।

विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में चल रही स्कीमों के अलावा, सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें माल और सेवा कर की शुरुआत, कॉरपोरेट कर में कमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, एफडीआई नीति संबंधी सुधार, अनुपालन बोझ में कमी के लिए उपाय, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) और क्यूसीओ (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश) के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपाय इत्यादि शामिल हैं।

भारत सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के भाग के रूप में विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाएं विकसित कर रही है, जिसका उद्देश्य भारत में ऐसे ग्रीनफील्ड औद्योगिक क्षेत्रों/रीजन/नोड्स का विकास करना है, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण और निवेश स्थलों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम के अनुमोदित संस्थागत और वित्तीय फ्रेमवर्क के अनुसार, राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराती है और भारत सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) के माध्यम से आंतरिक मुख्य अवसंरचना घटकों के विकास के लिए इक्विटी उपलब्ध कराती है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3952 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विनिर्माण क्षेत्र :-

i. एरोस्पेस और रक्षा
ii. ऑटोमोटिव और ऑटो घटक
iii. फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण
iv. जैव-प्रौद्योगिकी
v. पूंजीगत वस्तुएं
vi. वस्त्र एवं परिधान
vii. रसायन और पेट्रो रसायन
viii. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्यूफैक्चरिंग (ईएसडीएम)
ix. चमड़ा और फुटवियर
x. खाद्य प्रसंस्करण
xi. रत्न और आभूषण
xii. पोत परिवहन
xiii. रेलवे
xiv. निर्माण
xv. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

सेवा क्षेत्र:

i. सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस)
ii. पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं
iii. मेडिकल वैल्यू ट्रैवल
iv. परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं
v. लेखा और वित्त सेवाएं
vi. ऑडियो विजुअल सेवाएं
vii. कानूनी सेवाएं
viii. संचार सेवाएं
ix. निर्माण और इससे संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं
x. पर्यावरणीय सेवाएं
xi. वित्तीय सेवाएं
xii. शिक्षा सेवाएं

*****

अनुबंध-II

दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3952 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विनिर्माण इकाइयों की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विनिर्माण इकाइयों की संख्या
1	महाराष्ट्र	245
2	गुजरात	191
3	तेलंगाना	141
4	कर्नाटक	130
5	तमिलनाडु	125
6	आंध्र प्रदेश	72
7	उत्तर प्रदेश	92
8	हरियाणा	97
9	मध्य प्रदेश	42
10	राजस्थान	39
11	उत्तराखंड	27
12	हिमाचल प्रदेश	33
13	पंजाब	26
14	केरल	18
15	ओडिशा	12
16	गोवा	6
17	पश्चिम बंगाल	11
18	बिहार	9
19	जम्मू और कश्मीर	4
20	झारखंड	8
21	असम	5
22	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	15
23	पुदुच्चेरी	4
24	छत्तीसगढ़	1
25	दिल्ली	4
कुल		**1357**

*****